IN THE COURT OF Addl. Distt. & Sessions Judge-II, ROSERA(Samastipur)

S.T.- 116/2024

C.I.S. No.- 45/2024

Date of Order	Orders with initials of the Court .	Remark
11-06-24	सभी तीन अभियुक्तों में से दो की हाजरी तथा शेष एक काराधीन अभियुक्त को कारा से प्रस्तुत किया गया। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष अभियुक्त नंदन कुमार की ओर से दिनांक 30.04.2024 को धारा 227 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान मुकदमा थानाध्यक्ष विभूतिपुर के फर्दबयान पर दर्ज है। थानाध्यक्ष ने महाल चौकीदार के साथ करीब 12:15 बजे माधोपुर गाछी के समीप नंदन कुमार सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें से चंदन कुमार के तलाशी के क्रम में उसके पैंट के पॉकेट से एक 8 एम0एम0 का जिन्दा गोली बरामद किया। पुलिस ने मेल भाव में चंदन कुमार को छोड़ दिया तथा आवेदक नंदन कुमार को गिरफ्तार कर भय दिखाकर जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करवाकर गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रार्थी नंदन कुमार का मोबाईल भी जब्त कर लिया। मो0 नम्बर 7492965766 तथा मो0 नम्बर 6205233894 का सी0डी0आर0 एवं टॉवर लोकेशन से प्रार्थी का निर्दोषिता सिद्ध होगा। विरोधियों के साथ मिलकर थानाध्यक्ष ने प्रार्थी को उक्त मुकदमा में प्रेषित किया तथा गलत ढ़ंग से फंसाया गया है। वर्तमान वाद में एक भी स्वतंत्र व स्थानीय साक्षी नहीं है। फरवरी 2023 में प्रार्थी का पुलिस पदाधिकारी के साथ नोक झोंक हुआ था जिसके कारण बनावटी झूठा मुकदमा में प्रार्थी को पुलिस के द्वारा प्रेषित किया गया है। अंत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता दिनांक 30.04.2024 के आवेदन को स्वीकृत कर प्रार्थी नंदन कुमार को मुकदमा से मुक्त करने हेतु आदेश दिया जाने का निवेदन करते हैं। इसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 14.05.2024 को प्रतिउत्तर दाखिल कर विद्वान अपर लोक अभियोजक निवेदन करते हैं कि बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किया गया आवेदन तथ्यहीन है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा धारा– 399, 402 भा0दं0वि0 तथा धारा 25(1-b)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। जब्ती सूची एवं काण्ड दैनिकी की कंडिका संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16 में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अंत में विद्वान अपर लोक अभियोजक बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.04.2024 को खारिज किये जाने का निवेदन करते हैं। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि	

IN THE COURT OF Addl. Distt. & Sessions Judge-II, ROSERA(Samastipur)

S.T.- 116/2024

C.I.S. No.- 45/2024

Contd. 11-06-24	सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 399, 402 भा0दं0वि0 तथा धारा–25(1-b)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता के द्वारा मामले में पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात् धारा– 399, 402 भा0दं0वि0 तथा धारा–25(1-b)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 399, 402 भा0दं0वि0 तथा धारा–25(1-b)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। जहां तक बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त नंदन कुमार के विरूद्व आरोप गठन हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, इस संदर्भ में अभिलेख, औपचारिक प्राथमिकी, जब्ती सूची एवं काण्ड दैनिकी की कंडिका संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16 पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इस संदर्भ में, सफाई पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन वाद के वर्तमान परिस्थिति में पोषणीय नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल दिनांक 30.04.2024 के आवेदन को **खारिज** किया जाता है और अभिलेख को अरोप गठन हेतु निश्चित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को सदेह उपस्थित रहें, अन्यथा बंध–पत्र खंडित कर दिया जाएगा। काराधीन अभियुक्त को पुनः कारा में भेजा गया। दिनांक–25.06.2024 वास्ते आरोप गठन व प्रस्तुत करने कारा से। लेखापित अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय	